बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
छात्रावास में नामांकन हेतु आवेदन–पत्र

फाटो

1. नाम :–
2. पिता/अभिभावक का नाम :–
3. माता का नाम :–
4. स्थानीय अभिभावक का नाम :–
5. पता :–
   (क) पत्राचार का पता :–
   (ख) स्थायी पता :–
   (ग) मोबाईल नं॰ एवं ईमेल आई॰डी॰ :–
6. पहचान :–
   (क) वोटर आई॰डी॰ नं॰ :–
   (ख) आधार कार्ड नं॰ :–
   (ग) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय के द्वारा निर्गत पहचान पत्र सं॰ :–
   (घ) वर्तमान में अध्ययनरत् संस्थान का नाम एवं पता :–
7. जाति एवं उपजाति :–
8. धर्म :–
9. राष्ट्रीयता :–
10. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र॰	पाठ्यक्रम	विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम	वर्ष	प्राप्तांक का प्रतिशत

11. पिता/अभिभावक/माता का व्यवसाय :–
    सरकारी नौकरी/गैर सरकारी नौकरी/निजी व्यवसाय/अन्य (स्पष्ट करें)
12. अगर आप छात्रावास में पूर्व से रह रहे हैं तो स्पष्ट करें :–
    (क) छात्रावास का नाम :–
    (ख) वर्ष और अवधि
13. छात्र पर किसी प्रकार का उपराधिक मामला पूर्व से :–
    दर्ज है अथवा नहीं (कृपया स्पष्ट करें)
14. छात्र का ब्लड ग्रुप :–

15. वर्तमान में या पूर्व में गंभीर रोग से ग्रसित थें अथवा नहीं (स्पष्ट करें) :–

घोषणा :–

मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दी गई सभी जानकारियों मेरे समझ से सही है एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की सूचना गलत पाए जाने पर मेरे उपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

पिता/अभिभावक का हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदन के साथ संलग्न करें :–

(i) छात्रावास में रैगिंग नहीं करने का शपथ पत्र
(ii) अभिप्रमाणित जाति प्रमाण–पत्र
(iii) अभिप्रमाणित अधतन आय प्रमाण–पत्र
(iv) अभिप्रमाणित निवास प्रमाण–पत्र
(v) स्व– अभिप्रमाणित दो फोटो
(vi) वर्तमान में पाठ्यरत संस्थान द्वारा निर्गत पहचान पत्र का स्व-- अभिप्रमाणित फोटो कॉपी
(vii) 10वीं एवं 12वीं परीक्षा का अंक पत्र का स्व– अभिप्रमाणित फोटो कॉपी।

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास

संचालन मार्गदर्शिका

1– प्रस्तावनाः– बिहार राज्य में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या अधिक है, परन्तु इन वर्गो में साक्षरता का दर सामान्य वर्गो की अपेक्षा राष्ट्रीय स्तर से कम है। इन वर्गो के बच्चों में शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ाने हेतु आवश्यक है कि इन बच्चों के लिए अधिक–से–अधिक छात्रावास की सुविधा मुहैया कराया जाए। इस उद्देश्य से जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास राज्य के 38 जिलों में संचालित किये जाने का निर्णय है।

2– छात्रावास की स्थापनाः– पिछड़े वर्ग एवं अति पिछड़े वर्गो के लिए इस प्रकार के छात्रावास की स्थापना उच्च विद्यालय, इन्टर विद्यालय, स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर स्थापित किये जाने की योजना है।

3– छात्रावास का संचालनः– इस प्रकार के छात्रावास का संचालन संबंधित विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रखते हुए किया जाएगा।

4– छात्र/छात्रा का आवासनः–

(i) इन छात्रावासों में सभी 100 आसन अति पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित रहेगा। जिसमें तीन प्रतिशत आसन अति पिछड़े वर्गो में विकलांग छात्र/छात्राओं के लिए आरक्षित रहेगा।

(ii) अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा नहीं मिलने पर पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा का नामांकन लिया जा सकेगा।

(iii) अति पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्रा एवं पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्रा नही मिलने पर अनु0 जाति/जनजाति के छात्र/छात्रा का नामांकन लिया जा सकेगा।

(iv) उपरोक्त में क्रमांक–i से iii में सुयोग्य छात्र/छात्रा नही मिलने पर सामान्य जाति के छात्र/छात्रा का नामांकन लिया जा सकता है।

5– छात्रावास शुल्कः– अति पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं से किसी प्रकार का शुल्क लिये जाने का प्रावधान नहीं होगा जबकि अन्य वर्गो से निम्नवत् शुल्क लिये जायेंगेः–

(क) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीट रेट

(ख) छात्रावास संधारण शुल्क–प्रतिमाह 300/(तीन सौ)

(समय–समय पर दर में संशोधन विभाग कर सकता है)

Jaishankar Sir(Nilesh)

6– छात्रावास में नामांकन की प्रक्रियाः–

(i) छात्रावास में आवासन हेतु अधीक्षक(अधीक्षक नहीं रहने पर जिला कल्याण पदाधिकारी) के पास विहित प्रपत्र में लिखित रूप से आवेदन देना अनिवार्य होगा।

(ii) अधीक्षक, आवेदकों के संबंध में पूर्ण जानकारी यथा विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के संबंध में सुनिश्चित करने के पश्चात् आवेदकों की सूची तैयार करेंगे तथा चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(iii) चयन समिति द्वारा सीटो के आवंटन में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को अन्य कोटि के छात्र/छात्राओं से प्राथमिकता प्रदान करेगी। विशेषकर पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो अपेक्षाकृत अधिक दूरी के निवासी हों (जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के तहत निर्मित छात्रावासों में अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी)। मूलरूप से चयन का आधार छात्र/छात्रा के गत परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर लिया जायेगा। साथ ही वैसे छात्र/छात्रा के अभिभावक जिनकी आय कम होगी उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

(iv) नामांकन का सामान्य समयः– इन छात्रावासों में नामांकन वर्ष में दो बार यथा–माह–जुलाई से अगस्त के बीच तथा माह–दिसम्बर से जनवरी के बीच किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में एक बार कुल सचिव सुविधानुसार किसी भी समय नामांकन हेतु चयन समिति की बैठक आहुत कर सकेंगे।

(v) पुर्ननामांकनः– पुर्ननामांकन हेतु इच्छुक आवेदकों को भी अधीक्षक के समक्ष आवेदन करना होगा जिसपर समिति द्वारा विद्यमान परिस्थितियों के आलोक में विचार किया जायेगा परन्तु आवासन के निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा।

(vi) कमरों में सीटो की व्यवस्थाः– कमरों का आवंटन चयन समिति द्वारा की जायेगी। सीटो का आवंटन इस प्रकार होगा कि आवंटियों के मध्य किसी प्रकार का जातिगत भावना उत्पन्न न हो। विशेष परिस्थिति में छात्र/छात्रा को कमरा बदलने की आवश्यकता हो तो छात्रावास अधीक्षक के आदेश से किया जा सकेगा, परन्तु इसकी सूचना छात्रावास अधीक्षक द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को देना अनिवार्य होगा।

(vii) छात्र/छात्रा चयन समिति का गठनः– इन छात्रावासों में छात्र/छात्रा का चयन समिति विद्यालय, महाविद्यालय के प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय स्तर पर कुलसचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्न पदाधिकारी सदस्य होंगेः–

छात्रावास अधीक्षक	–	सदस्य
जिला पदाधिकारी के द्वारा नामित पदाधिकारी	–	सदस्य
जिला कल्याण पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव

उच्च विद्यालय के लिए प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी (जिसके क्षेत्र में संस्थान अवस्थित हो), इण्टर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक।

Jalshankar Sir(Nilesh)